

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 25 अ-82/2019-20 मौजा-दुराबोरगांव /1933

बैतूल दिनांक 13 /02/2020

**घोषणा**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	दुराबोरगांव	1.485	ब्राह्मणावाड़ा लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**

**(प्रभावित धारको की सूची)**

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	418	1.072	0.200	सुक्कु पुत्र भूरा पता सा. देह भूमि स्वामी, ओझा पूत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी मना पुत्र रावजी पता सा. देह भूमि स्वामी चैतराम पुत्र रामू पता सा. देह भूमि स्वामी, गिरधर पूत्र शिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी
2	419	0.607	0.405	ओझा पुत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी
3	420	0.526	0.430	भूरा पुत्र संगी पता वैतूल मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
4	427	1.032	0.450	मुन्ना जियालाल कृष्णा ना.बा. पिता ओझा व. भिवजी जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
महायोग		3.237	1.485	

1. चूंकि ब्राह्मणावाड़ा लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

*(Handwritten signature)*

(तेजस्वी एस. नायक)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

*(Handwritten mark)*

प्रतिलिपि :-

- 1 - उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रनालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रनालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ ।
- 2 - संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित । कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतिया भी भेजने का कष्ट करे ।
- 3 - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतिया एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।
- 4 - जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5 - प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 6 - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आमला की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 7 - तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित । प्रति कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल / ग्राम पंचायत पर चस्पा करवाए एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 8 - जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावे ।

  
अपर कलेक्टर

एवं प्र०अ० भू-अर्जन, बैतूल